जिला निबंधक का कार्यालय, मधेपुरा

आदेश : 49 / 2014

बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्राकों की बिक्री) (संशोधन) नियमावली 2010 तथा तत्सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों के आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि –

1. अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, उदाकिशुनगंज में शपथ पत्र पर देय न्यायालय शुल्क सहित किसी आवदेन/लिखत पर देय सभी प्रकार के न्यायालय शुल्क के कुल राशि का भुगतान एक छाप के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन से की जाएगी। इसके लिए अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज सह सदस्य, स्कोर–मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया है।
2. फ्रैंकिंग मशीन अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, उदाकिशुनगंज परिसर स्थित कियोस्क भवन से संचालित की जाएगी।
3. इसका संचालन अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज द्वारा प्रतिनियुक्त विभाग के कर्मी/ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा।
4. अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज सह सदस्य स्कोर, मधेपुरा फ्रैंकिंग मशीन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री यथा टोनर आदि की व्यवस्था/अधियाचना "स्कोर मधेपुरा" से करेंगे।
5. न्यायालय परिसर में फ्रैंकिंग मशीन से मुद्रांको की बिक्री लागू होने के साथ ही अनुज्ञप्तिधारी मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी।
6. कोषागार, मधेपुरा से दिनांक– 06.09.2014 से मुद्रांक विकताओं को न्यायिक मुद्रांक निर्गत नहीं किए जाएंगे। कोषागार पदाधिकारी मुद्रांक विकताओं के पास शेष बचे न्यायिक मुद्रांकों को वापस लेकर नियमानुसार उन्हें राशि वापस करने की कार्यवाई करेंगे।
7. न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन द्वारा दिनांक–07.09.2014 से आरंभ की जाएगी।

विश्वासभाजन,

जिला अवर निबंधक,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 644 दिनांक 5.9.2014

प्रतिलिपि :

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समाहर्त्ता सह अध्यक्ष, स्कोर मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
6. अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज सह सदस्य, स्कोर मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, व्यवहार न्यायालय मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा एन0आई0सी0 को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/9/14

जिला अवर निबंधक,
मधेपुरा।